

संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2025

क्रमांक / 132 / स्टेनो / 2025

नर्मदापुरम, दिनांक :- 10 / 09 / 2025

मैं फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, के मध्य उचित रूप से कार्य, वितरण एवं संपादन हेतु पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2025 आदेश क्रमांक 96 / स्टेनो / 2025 नर्मदापुरम दिनांक 01.07.2025 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 12 एवं 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम के अनुमोदन उपरांत, निम्नानुसार कंडिका क्रमांक 1, कंडिका क्रमांक 7, कंडिका क्रमांक 11, कंडिका क्रमांक 13, कंडिका क्रमांक 17 में निम्नानुसार संशोधन कर जोड़ता हूँ एवं कंडिका क्रमांक 18 के स्तंभ क्रमांक 3 से कंडिका क्रमांक 2 एवं स्तंभ क्रमांक 4 से कंडिका क्रमांक 3 विलोपित करता हूँ, जो कि माननीय महोदय के अनुमोदन उपरांत दिनांक 11.09.2025 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्यक्षेत्र	कार्य, जो संबंधित न्यायालय की अधिकारिता में है, न्यायालय द्वारा उनके नाम के स्तम्भ क्रं. 3 में वर्णित क्षेत्र के संबंध में किये जावेंगे।
01.	02.	03.	04.
01.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम फिरोज अख्तर	1. संपूर्ण जिला नर्मदापुरम, आरक्षी केंद्र कोतवाली नर्मदापुरम, से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। 2. आबकारी वृत्त नर्मदापुरम "ए" एवं "बी" से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। 3. आरक्षी केंद्र यातायात नर्मदापुरम। 4. आरक्षी केंद्र देहात नर्मदापुरम से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। 5. नर्मदापुरम स्थित सभी आरक्षी केंद्र से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण	1. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 2. संपूर्ण जिला नर्मदापुरम में चलित न्यायालय कार्य एवं स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), संक्षिप्त विचारण के प्रकरण से संबंधित कार्य एवं विचारण जिसके लिये किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत नहीं किया गया है। 3. स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं खात्मा तथा जिला नर्मदापुरम स्थित सभी आरक्षी केंद्रों के खारिजी प्रतिवेदन। 4. स्तम्भ क्रमांक 3 में वर्णित आरक्षी केंद्र क्षेत्र से मोटर यान अधिनियम, नर्मदापुरम स्थित सभी आरक्षी केंद्र के दुकान एवं संस्थान अधि०, श्रम अधि०, औषधि प्रसाधन अधि०, नगर पालिका अधिनियम, आबकारी अधि०, एन.डी. पी.एस.एक्ट(न्यूनमात्रा), खाद्य सुरक्षा

	अधिनियम, नर्मदापुरम वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)।	अधि० एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय नर्मदापुरम(मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण) के अंतर्गत उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों के संज्ञान एवं विचारण। 5. मेंटल हेल्थ एंड केयर एक्ट से संबंधित मामले। 6. जिला नर्मदापुरम स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रकरण/इस्तगासा, जहां वाहन में ओव्हर लोडिंग से संबंधित है। 7. संपूर्ण नर्मदापुरम जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित प्रकरणों से संबंधित धारा-450 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 8. Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण। 9. नर्मदापुरम स्थित सभी आरक्षी केंद्र से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, नर्मदापुरम वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)
--	---	--

सिविल न्यायालय इटारसी

07.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी श्री सूर्यपाल सिंह राठौर	1. आरक्षी केंद्र इटारसी, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 2. इटारसी क्षेत्राधिकार के आबकारी से उत्पन्न समस्त प्रकरण। 3. आरक्षी केंद्र जी. आर.पी. इटारसी से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।	1. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 2. स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित समस्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), निजी परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन (<u>महिलाओं के विरुद्ध अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर</u>) का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य। 3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक
-----	---	---	---

		4. <u>तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)</u>	दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 4. Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण। 5. तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रम अधिनियम, औषधी प्रसाधन अधिनियम, एन0डी0पी0एस0 (न्यून मात्रा)एक्ट के ऐसे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की विचारण अधिकारिता अंतर्गत के है, से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 6. तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम एवं महिलाओं के प्रति हुए अपराधों से संबंधित प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 के कथन लेखबद्ध किया जाना। 7. तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)
सिविल न्यायालय- सिवनी मालवा			
11.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा सुश्री अंजली अग्रवाल	1. आरक्षी केंद्र सिवनीमालवा, आबकारी वृत्त, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सिवनी मालवा	1. स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, संक्षिप्त विचारणीय (समरी) प्रकरण, खात्मा प्रतिवेदन तथा आरक्षी केंद्र शिवपुर क्षेत्र से उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रम अधिनियम, औषधी प्रसाधन

	तहसील के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध घटित समस्त आपराधिक प्रकरण (अंतर्गत धारा 294, 74, 75, 76, 77, 78, 63, 64, 65 (1), 66, 65 (2), 67, 68, 70(1), 70 (2), 71, 81, 84, 85, 80, 79 भारतीय न्याय संहिता, 2023), घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-144, 146, 144-3 के समस्त प्रकार के आवेदन। <u>3. तहसील सिवनीमालवा स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)</u>	अधिनियम, एन0डी0पी0एस0 (न्यूनमात्रा) एक्ट के ऐसे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की विचारण अधिकारिता अंतर्गत के है, आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 2. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु अधिसूचित महिला विशेष न्यायालय के रूप में सिवनीमालवा तहसील के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध घटित समस्त अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-144, 146, 144-3 के समस्त आवेदन एवं उनके निष्पादन संबंधी प्रकरण (<u>धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर</u>) का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य। 3. भा.वन अधि.म.प्र. वन उपज अधिनियम प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 4. आरक्षी केंद्र सिवनीमालवा से उत्पन्न एम.जे.सी. व स्थायी वारंट। 5. आरक्षी केन्द्र शिवपुर से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण (महिलाओं से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) के अधीन प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र. सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना। 6. अपील न्यायालय से आने वाले आदेशों एवं रिमांड होने वाले समस्त प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण। 7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 8. Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण।
--	---	--

			9. <u>तहसील सिवनीमालवा स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)</u>
--	--	--	---

सिविल न्यायालय-पिपरिया

13.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया श्री मनीष कुमार पारिक	1. आरक्षी केंद्र स्टेशन रोड पिपरिया, आरक्षी केंद्र पचमढी, श्रंखला न्यायालय पचमढी एवं छावनी क्षेत्र अधिनियम एवं विशेष प्राधिकरण क्षेत्र पचमढी एवं से संबंधित प्रकरण। 2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं तहसील पिपरिया स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न आपराधिक संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) प्रकरण। 3. <u>तहसील पिपरिया एवं बनखेडी अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र एवं पचमढी के अंतर्गत आने वाले जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित</u>	1. स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण (<u>महिलाओं से संबंधित अपराधों को छोड़कर</u>) परिवाद, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), खात्मा प्रतिवेदन। 2. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 3. छावनी परिषद पचमढी एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 4. भारतीय वन अधिनियम, म.प्र. वन उपज अधिनियम प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य तथा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम संबंधित प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 5. आरक्षी केंद्र स्टेशन रोड पिपरिया, आरक्षी केंद्र पचमढी, पचमढी एवं वन परिक्षेत्र पिपरिया क्षेत्र में उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रम अधिनियम, औषधी प्रसाधन अधिनियम, एन0डी0पी0एस0 (न्यूनमात्रा) एक्ट के ऐसे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की विचारण अधिकारिता अंतर्गत के हैं, से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 6. कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के (<u>महिलाओं से संबंधित अपराध को छोड़कर</u>) बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों (<u>समस्त</u>
-----	--	---	--

		<u>प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)</u>	<u>आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न धारा- 138 परकाम्य लिखत अधिनियमों के प्रकरण को छोड़कर)</u> का निराकरण। 7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 8. Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण। 9. <u>तहसील पिपरिया एवं बनखेडी अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र एवं पचमढी के अंतर्गत आने वाले जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)</u>
सिविल न्यायालय-सोहागपुर			
17.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सोहागपुर श्रीमती संगीता डावर मौर्य	1. आरक्षी केंद्र-सोहागपुर एवं आबकारी वृत्त सोहागपुर एवं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 2. ग्राम न्यायालय सोहागपुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अपराधिक प्रकरण। 3. तहसील-सोहागपुर के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध घटित समस्त आपराधिक प्रकरण (अंतर्गत धारा 294, 74, 75, 76, 77, 78, 63, 64, 65 (1), 66, 65 (2), 67,	1. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 2. स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) प्रकरण, निजी परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन। 3. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु अधिसूचित महिला विशेष न्यायालय के प्रकरण आरक्षी केंद्र सोहागपुर एवं कालम नं. 3 में वर्णित 22 गांव जो सोहागपुर न्यायालय के अधिकारिता में है से उत्पन्न समस्त प्रकरण। 4. स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा पेश भरण पोषण के प्रकरण एवं इसी न्यायालय द्वारा भरण पोषण से संबंधित प्रकरण में पारित आदेशों के निष्पादन के संबंधित प्रकरण।

	68, 70(1), 70 (2), 71, 81, 84, 85, 80, 79 भारतीय न्याय संहिता, 2023) , घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-144, 146, 144-3 के समस्त प्रकार के आवेदन। <u>4. तहसील सोहागपुर स्थित समस्त आरक्षी केंद्र के अंतर्गत आने वाले जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)</u>	5. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के समस्त प्रकरण एवं पारित आदेश के निष्पादन संबंधी प्रकरण का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 6. स्तम्भ क्रमांक 3 में वर्णित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रम अधिनियम, औषधी प्रसाधन अधिनियम, एन0डी0पी0एस0 (न्यून मात्रा)एक्ट के ऐसे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की विचारण अधिकारिता अंतर्गत के है, से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 7. आबकारी वृत सोहागपुर द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकार के प्रकरण। 8. अपील न्यायालय से आने वाले आदेशों एवं रिमांड होने वाले समस्त प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण। 9. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 10. आरक्षी केंद्र सोहागपुर से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना। 11. Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण। 12 <u>तहसील सोहागपुर स्थित समस्त आरक्षी केंद्र के अंतर्गत आने वाले जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike</u>
--	---	---

			force units को छोड़कर) एवं भा. वन अधि. म.प्र. वन उपज अधिनियम प्रकरणों का विचारण।
18.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सोहागपुर श्री तेजदीप सिंह सासन	1. आरक्षी केन्द्र सोहागपुर से उत्पन्न धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण का विचारण।	1. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 3. आरक्षी केंद्र सोहागपुर से उत्पन्न लैंगिक एवं महिलाओं के प्रति हुए अपराधों एवं अन्य अपराधों से संबंधित प्रकरण के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना व सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना। 4. आरक्षी केंद्र सोहागपुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण, एम.जे.सी. प्रकरण एवं धारा 138 एन.आई.एक्ट के स्थायी वारंट।

अनुमोदन हेतु माननीय महोदय की ओर सादर प्रेषित।

अनुमोदित
Shahy 10/9
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)

10/9/25
फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम

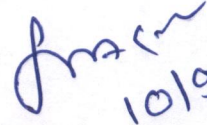
कार्यालय / न्यायालय :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नर्मदापुरम (म.प्र.)
पीठासीन अधिकारी-फिरोज अख्तर

क्रमांक / / पृ.क्र. / 2025

नर्मदापुरम, दिनांक 10/09/2025

प्रतिलिपि:-

01. माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एस.सी./एस.टी. एक्ट/एन.डी.पी.एस. एक्ट नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. पुलिस अधीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. जिला अभियोजन अधिकारी/ए.पी.पी नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारी जिला एवं तहसील की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
08. खाद्य निरीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
09. नापतौल निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. औषधि निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. जिला लोक अभियोजक अधिकारी नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. जिला आबकारी अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. जिला परिवहन अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. अध्यक्ष अभिभाषक संघ नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


10/9/25
फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम